रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1991/श्रावण 23, 1913
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1991/SRAVANA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 191—आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1991

विषय :—आयात-निर्यात नीति 1990—93 (खण्ड 1)।

फा.सं. 1/2/आर.ई.पी./74-ई.पी.सी./184.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड 1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उपर्युक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) की (पृष्ठ सं.)	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	6	अध्याय-2 पैरा-15	मौजूदा पैरा 15 के उप पैरा (3) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : "(3-क) इस नीति के अध्याय-19 में शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए लाइसेंस संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मामले के गुण दोष को ध्यान में रखकर पुनः वैध किए जाएं।"

1	2	3	4
2.	62	अध्याय 15 पैरा 202(1)	पैरा 202(1) के उप पैरा (2) की पंक्ति 2 में आंकड़ा "10" को आंकड़ा "30 प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	72	अध्याय 19 पैरा 229	(1) पैरा 229 के उप पैरा (2) का मौजूदा प्रथम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस नीचे उप पैरा (3) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार दी गई मंजूरी को छोड़कर वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होंगे।" (2) मौजूदा उप पैरा (2) के बाद निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाएगा :— (3) परिशिष्ट 3-ग में निर्धारित निवेश/निर्गम मानदण्डों के अनुरूप लगाए गए आभारों को पूर्णतया पूरा करने के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग चमड़े और वस्त्र के माल के निर्यात के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस बिना वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के होगा और निर्मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा। यह सुविधा निर्यात आय की अभिप्राप्ति द्वारा समर्थित साक्ष्य देने के उपरान्त ही मंजूर की जाएगी ताकि यह दर्शाया जा सके कि निर्यात पूर्व में फाइल किए गए आवेदन के संबंध में निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्रभावी है और निर्यात के पोत परिवहन बिल पर इस प्रकार का पृष्ठांकन हो जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि इ-बैंक की सुविधा नहीं ली गई है जिसका उपयुक्त रूप से साक्ष्यांकन सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के पद के अधिकारी से निम्न का नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 366 के अनुसार नियमित किए गए मामले इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे।"
4.	73	अध्याय-19 पैरा 231	पैरा 231 के उप पैरा (4) के बाद निम्नलिखित नया उप पैरा जोड़ा जाएगा :— "(7) इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस/ब्लैंकट अग्रिम लाइसेंस, उन लाइसेंसों को छोड़कर जो रुपया भुगतान क्षेत्र को प्रभावित करने वाले निर्यात से संबंधित हैं, आयात और निर्यात दायित्वों दोनों प्रयोजनों हेतु निर्यात विदेशी मुद्रा में मूल्यों को विनिर्दिष्ट करेंगे। वे मुद्राएं जिनमें इस प्रकार का मूल्य अंकित किया जाए उन मुद्राओं के साथ सम्बद्ध किया जाए जो इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई हैं।"
5.	73	अध्याय-19 पैरा 232	मौजूदा पैरा 232 के उप परा (5) के बाद निम्नलिखित नया उप पैरा (6) जोड़ा जाएगा :— "(6) ऊपर उप पैरा 1(3) में यथा उल्लिखित व्यापक विनिर्माण गतिविधि से संबंधित शर्त सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निर्यात के लिए अग्रिम/ब्लैंकट अग्रिम लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर लागू नहीं होगी।
6.	74	अध्याय 19 पैरा 236	पैरा 236 के उप पैरा (3) की पंक्ति 4 और 5 में आय शब्द और अंक "प्रत्येक मद की प्रत्यक्ष मूल्य सीमा पर 10 प्रतिशत तक" के स्थान पर "वैयक्तिक मूल्यों के समायोजन को" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7.	75	अध्याय 19 पैरा 243	मौजूदा पैरा 243 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे पोतलदानों को सामान्य निर्यातों में बदल सकते हैं।"

1		3	4
8.	75	अध्याय 19 पैरा 244	पैरा 244 की पंक्ति आठ में दर्शाए अंकों "20" को "30" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
9.	76	अध्याय 19 पैरा 250	मौजूदा पैरा 250 का उप पैरा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "अन्य उत्पादों के संबंध में, प्रतिपूर्ति किए गए छूट प्राप्त माल को या तो आगे और उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अथवा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसा इस शर्त के अधीन होगा कि परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में मूल रूप से उपयोग में लाए गए माल पर, जिसके मुद्दे प्रति-पूर्ति किए गए माल का निपटान किया जाना अपेक्षित है, लाइसेंसधारी अथवा उसके समर्थन करने वाले विनिर्माताओं, जैसा भी मामला होने, मोडवाट/प्रोफार्मा क्रेडिट स्कीम के तहत अथवा केन्द्रीय उत्पाद नियम के नियम, 191-ख के अन्तर्गत किसी राहत का उपभोग न किया हो और बाद में उसका दावा न करने का वचन दिया हो।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2-आई टी सी (पी एन)/90–93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक अप्रैल 1990-मार्च 1993 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1990–93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	66	अध्याय 16 पैरा 320	पैरा 320 के उप पैरा (3) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "इस प्रावधान के तहत प्रारम्भ में स्वदेशी संभरक का नाम और पूर्ण पते का संकेत किए बिना एडवांस रिलीज आर्डर भी जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसिंग प्राधिकारी तीसरी प्रति अपने पास रखेगा और इससे स्वदेशी संभरक के लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास तभी भेजेगा यदि संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा लिखित में उक्त संभरक का नाम अधिसूचित कर दिया गया है। संबंधित लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा स्वदेशी संभरक के नाम और पते सहित एडवांस रिलीज आर्डर की तीसरी प्रति प्राप्त होने के बाद ही प्रतिपूर्ति लाभ, यदि कोई अनुमेय है, पर विचार किया जाएगा।
2.	72	अध्याय-19 पैरा 335	पैरा 335 के उप पैरा (1) के नीचे क्रम सं. (1), (2) और (3) में सूचीबद्ध दस्तावेजों को हटा दिया जाएगा।
3.	76	अध्याय 19 पैरा 348	(1) पैरा 348 का वर्तमान उप पैरा (4) और उप पैरा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "(4) पंजीकृत निर्यातक जो पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान नियमित रूप से निर्यात कर रहे है उन्हें बैंक गारंटी द्वारा समर्थित बन्धपत्र के बदले में विधिक बचनबद्धता देने की अनुमति दी जाएगी। विधिक बचनबद्धता की सुविधा लाइसेंसधारी को पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान किए गए

1	2	3	4

निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी ; लाइसेंसधारक को शेष मूल्य के लिए, यदि कोई है, ऊपर वर्णित अनुसार देय सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी द्वारा समर्थित बन्धपत्र का निष्पादन करना अपेक्षित होगा। यदि लाइसेंस में शामिल कोई मद परिशिष्ट-ज में भी विशिष्टिकृत है, तो ऐसे पंजीकृत निर्यातकों को दी गई विधिक वचनबद्धता की सुविधा के बावजूद विनिर्माता-निर्यातक को ऊपर वर्णित अनुसार उक्त परिशिष्ट-ज में आने वाली मदों पर देय सीमाशुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी के मूल्य का बन्धपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। व्यापारी निर्यातकों को इन मदों के सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित अनुसार बन्धपत्र के साथ देय सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी देनी अपेक्षित होगी।

(5) पंजीकृत निर्यातक जिनका पूर्ववर्ती 5 लाइसेंसिंग वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्यात निष्पादन 50 लाख रुपए का है और निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी सीमा के विधिक वचनबद्धता की सुविधा दी जाएगी और परिशिष्ट-ज मे आने वाली मदों के लिए भी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट होगी। विधिक वचनबद्धता लाइसेंस के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के ढाई गुणा के बराबर मूल्य के लिए होगी।"

(2) पैरा 348 के वर्तमान उप-पैरा (5) के बाद निम्नलिखित नया उप पैरा जोड़ा जाएगा :—

"(5-क) विनिर्माता जिनका सतत निर्यात निष्पादन नहीं है अथवा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उनका कोई निर्यात निष्पादन नहीं है किन्तु पहले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान (घरेलू और निर्यात) वार्षिक उत्पादन कम से कम 5 करोड़ रुपयों का है, उन्हें परिशिष्ट 19-च में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित बन्धपत्र के बदले में उपर्युक्त उप पैरा (4) में दिए गए अनुसार विधिकवचनबद्धता देने की अनुमति होगी। यह सुविधा ऊपर उल्लिखित अनुसार उनके वार्षिक व्यापार के 50 प्रतिशत मूल्य सीमा तक प्रतिबन्धित होगी। लाइसेंसधारी को शेष मूल्य के लिए, यदि कोई है, देय सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी द्वारा समर्थित निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एक बन्धपत्र का निष्पादन करना अपेक्षित होगा। यदि लाइसेंस में शामिल कोई मद परिशिष्ट-19-ज में भी विशिष्टिकृत है तो ऊपर उल्लिखित विधिक वचनबद्धता की सुविधा के बावजूद विनिर्माता को उक्त परिशिष्ट 19-ज में आने वाली आयात की मदों पर देय सीमाशुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी सहित ऊपर वर्णित अनुसार मूल्य के लिए बन्धपत्र प्रस्तुत करना होगा। नये विनिर्माता को भी उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी बशर्ते कि इसे एक वर्तमान कम्पनी (विनिर्माता) द्वारा उन्नीत किया गया है जिसका पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान वार्षिक घरेलू व्यापार कम से कम 5 करोड़ रुपये है। ऐसे मामलों में विधिक वचनबद्धता का संयुक्त रूप से नई यूनिट और उन्नीत कम्पनी द्वारा निष्पादन किया जाएगा। अन्य शर्तें वैसी ही रहेंगी।

---

5. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

ह /-

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 191-ITC (PN/90—93)

New Delhi, the 14th August, 1991

Subject : Import & Export Policy, 1990– 93 (Vol. I).

F. No. 1/2/REP/74-EPC-184 : - Attention is invited to the Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I) published under Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/90– 93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below:

Sl. No.	Page No. of the Import & Export Policy, 1990—93 (Volume I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6	CHAPTER-II Para 15	After the existing sub-para (3) of Para 15, the following shall be added:— "(3-A) Licences granted under duty exemption scheme vide Chapter-XIX of this policy may be revalidated by the licensing authority concerned taking into account the merit of the case."
2.	62	CHAPTER-XV Para 202(1)	The figure "10" appearing in line two of sub-para (ii) of Para 202(1) shall be substituted by the figures "30%".
3.	72	CHAPTER-XIX Para 229	(i) The existing first sentence of sub-para (2) of Para 229 shall be substituted by the following :— "Licences issued under this scheme will be subject to Actual User Conditions except when granted in accordance with the provisions contained in sub-para (3) below." (ii) After the existing sub-para (2), the following sub-para (3) shall be added:— "(3) Licences sought to be issued for export of engineering, leather and textile goods under this scheme in accordance with the input/output norms prescribed in Appendix 13-C, after the complete fulfilment of obligation imposed, shall be without actual user conditions and freely transferable. This facility will be granted only after the submission of an evidence supported by the realisation of export proceeds to show that the exports have been effected in discharge of the export obligation in relation to an application already filed and the shipping bill of exports bears such an endorsement clearly indicating that the facility of duty drawback has not been availed with proper attestation by an officer not below the rank of Asstt. Collector of Customs. Cases regularised in terms of Para 366 of the Hand book of Procedures shall not be entitled for this facility."
4.	73	CHAPTER-XIX Para 231	After sub-para (vi) of Para 231, the following new sub-para shall be added :— "(vii) Advance Licences/Blanket Advance Licences, excepting those relating to exports to be effected to RPA, issued under this scheme will specify the values in free foreign exchange both for the purposes of import and also export obligation. The currencies in which such values are denominated will be linked to those notified for this purpose by the Reserve Bank of India."

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	73	CHAPTER-XIX Para 232	After the existing sub-para (5) of Para 232, the following new sub-para (6) shall be added :— "(6) The condition relating to the substantial manufacturing activity as mentioned in sub-para 1(iii) above will not be applicable to applications for Advance/Blanket Advance Licences for exports to G.C.A.".
6.	74	CHAPTER-XIX Para 236	The words and figures "to the extent of 10% over the face value limit of each item" appearing in lines four and five of sub-para (3) of Para 236 shall be substituted by the words "of adjustment of individual values."
7.	75	CHAPTER-XIX Para 243	Following shall be added at the end of the existing para 243:— "The customs authorities concerned may convert such shipments into normal exports."
8.	75	CHAPTER-XIX Para 244	The figures "20" appearing in line eight of Para 244 shall be substituted by the figure "30".
9.	76	CHAPTER-XIX Para 250	The existing sub-para (2) of Para 250 shall be substituted by the following :— "(2) In respect of other products, replenished exempt materials can either be used for further production or disposed of to any person, without the per mission of the licensing authority concerned. This will be subject to the condition that on the materials originally used in the manufacture of the resultant products against which disposal of replenished material is sought for, the licensee or his supporting manufacturers as the case may be, has not availed of the relief under the MODVAT/proforma credit scheme or under Rule 191-B of Central Excise Rules and undertake not to claim the same subsequently."

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures for April, 1990—March, 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/90—93 dated the 30th March, 1990, as amended.

4. The following amendments shall be made in the Hand Book of Procedures at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Hand Book of Procedures, 1990—93 (Vol I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	66	CHAPTER-XVI Para 320	The following shall be added at end of sub-para (3) of Para 320:— "The Advance release order under this provision may also be issued initially without indicating the name and full address of the indigenous suppliers. In such an event the thrid copy will be retained by the licensing authority and shall be sent to the licensing authority of the indigenous supplier only after the name of the said supplier has been notified in writing by the licensee concerned. The replenishment benefits, if any admissible, shall be considered only after the thrid copy of advance release order complete with name and full address of the indigenous supplier has been received by the concerned licensing Office."
2.	72	CHAPTER-XIX Para 335	Documents listed at Sl. No. (1), (2) and (3) below sub-para (1) of Para 335 shall be deleted.
3.	76	CHAPTER-XIX	(i) The existing sub-para (4) and sub-para (5) of Para 348 shall be substituted by the following :— "(4) Registered exporters who have been exporting regularly during the preceding three licensing years will be permitted to give legal undertaking in lieu of bond backed by bank gurantee.

(1) (2) (3) (4)

The legal undertaking shall be for a value equivalent to two and half times the CIF value of the licence. The facility of legal undertaking will be limited upto 50% of the FOB value of exports made by the licence holder during the preceding three licensing years. For the balance, if any, the licence holder shall be required to execute a bond, as explained above backed by a bank guarantee equivalent to 50% of the custom duty payable thereon. In case an item covered by the licence is also specified in Appendix-H, notwithstanding the facility of legal undertaking given to such registered exporters, the manufacturer-exporters would be required to furnish a bond for a value as explained above with a bank guarantee equivalent to 25% of the custom duty payable on the itmes covered by the said Appendix-H. The merchant exporters in respect of these items shall be required to given bank guarantee equivalent to 50% of the customs duty payable alongwith a bond as mentioned above.

(5) Registered exporters having a minimum export performance of Rs. 50 lakhs during each of the preceding five licensing years and Export/Trading /Star Trading Houses and Public Sector Undertakings shall be permitted the facility of legal undetaking without any limit and shall also be exempted from furnishing bank guarantee even for the items appearing in Appendix-H. The legal undertakings shall be for a value equivalent to two and half times of the CIF value of the licence."

(ii) After the existing sub-para (5) of Para 348 the following new sub-para shall be added :—

"(5-A) Manufacturers not having continuous export performance or no export performance to their credit during the preceding three years but having annual turn-over of at least Rs. 5 crores (domestic and export) during the provious 3 licensing years will be permitted to give legal undertaking in the same manner as per sub-para (4) above in lieu of bond backed by a bank guarantee in the prescribed form given in Appendix-XIX-F. This facility would be restricted upto a value limit of 50% of their annual turn-over as mentioned above. For the balance, if any, the licence-holder shall be required to execute a bond to cover the export obligation backed by a bank guarantee equivalent to 50% of the custom duty payable thereon. In case an item covered by the licence is also specified in Appendix XIX-H, notwithstanding the facility of legal undertaking mentioned above, the manufacturers would be required to furnish a bond for a value as explained above with bank guarantee equivalent to 25% of the customs duty payable on the items of imports covered by the said Appendix XIX-H. A new manufacturer would also be allowed the above facilities provided it is promoted by an existing Company (Manufacturer) with an annual domestic turn-over of at least Rs. 5 crores during the previous 3 licensing years. In such cases, legal undertaking would be executed jointly by the new unit and the promoting Company. Other conditions remain the same.

5. The above amendments are made in public interest.

Sd/-
D.R. MEHTA, Chief Controller of
Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991